राज्य वित्त आयोग की अभिनव पहल : नवप्रवर्तन व नवाचार

- आयोग ने वर्ष 2015-16 के लिए अपने अंतरिम प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं / शहरी स्थानीय निकायों को 3271.81 करोड़ रूपये अनुदान दिये जाने की सिफारिश की। इसमें से 2457.13 करोड़ रूपये पंचायती राज संस्थाओं एवं 814.68 करोड़ रूपये शहरी स्थानीय निकायों को दिये गये हैं।
- आयोग ने जिलों में परस्पर धनराशि के वितरण हेतु Global Sharing Mechanism अपनाते हुए एक Innovative Index तैयार किया जिसके अनुसार शिशु लिंग अनुपात की वरीयता को 5 प्रतिशत से बढाकर 10 प्रतिशत किया गया।
- भारत सरकार द्वारा कराई गयी सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना 2011 के 7 मानदण्डों पर वंचन को 10 प्रतिशत वरीयता दी गई जिससे पिछड़े स्तर के जिलों को अधिक राशि उपलब्ध हो सके।
- 5 प्रतिशत राशि निष्पादन हेतु प्रोत्साहन अनुदान के लिए रखी गई जिसमें आय-व्यय, आस्ति रजिस्टर, स्वयं के राजस्व में वृद्धि एवं भामाशाह कार्ड नांमाकन एवं वितरण के कार्य शामिल किये गए।
- प्रशासन स्तर में सुधार एवं राष्ट्रीय/राज्य महत्व की योजनाओं हेतु 10 प्रतिशत राशि दिये जाने की सिफारिश की है। यह राशि ई-गवर्नेंस/अटल सेवा केन्द्र, डेटाबेसों का रख-रखाव, सूचना प्रोद्यौगिकी, राजस्व वृद्धि क्षमता निर्माण, बेटी बचाओ - बेटी पढाओ, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छ भारत अभियान आदि पर व्यय की जा रही है।
- भारत सरकार के 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को कोई अनुदान राशि नहीं दी है। इस कमी की पूर्ति हेतु इस आयोग ने जिला परिषदों को मिलने वाली राशि 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत एवं पंचायत समितियों को मिलने वाली राशि को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया है। 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायतों को 1472 करोड़ रूपये अनुदान दिया है।
- राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण एवं जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्य के लिए माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण एवं सरपंच के लिए अनुसूचित क्षेत्र में कक्षा 5 उत्तीर्ण एवं अन्य क्षेत्रों में कक्षा 8 उत्तीर्ण के प्रावधान। इन संस्थाओं में पढ़े लिखे लोगों के जुड़ने से कार्य में दक्षता बढ़ेगी एवं जनहितकारी सिद्ध होगी।
- वित्त आयोग के तत्वावधान में सोशल मीडिया द्वारा सीधे संवाद व Success Story Sharing.
- अर्थशास्त्रियों एवं विषय विशेषज्ञों के साथ संवाद आयोजित करके निकायों को सक्षम करने के उपायों की खोज।
- संभाग स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक आयोग की बैठकों का आयोजन किया गया।
- पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों से विभिन्न स्तरों पर वार्ताऐं की गई।
- अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र, दिल्ली में आयोग के कार्यों का अध्ययन।
- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया व राजस्थान की ओर से प्रस्तुतिकरण किया, जिसे सराहना मिली।